महत्वपूर्ण / ग्राम पंचायत पुनर्गठन

प्रथम परिपत्र

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः– 4/491 /2014–4/70/2014 लखनऊः दिनांकः 22 अगस्त 2014

विषयः– ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/परिसीमन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1992/33–3–2014–03रा0नि0आ0/14, दिनांक 16 अगस्त, 2014 (प्रति संलग्न) जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा ग्राम पंचायत के परिसीमन/पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र/प्रस्ताव प्राप्त करने उसके निस्तारण, प्रकाशन आदि के लिए समय सारिणी निर्धारित करते हुए विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन/परिसीमन के सम्बन्ध में विभिन्न संचार माध्यमों यथा समाचार पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर समस्त कार्यवाही समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :–

1. सूचना विभाग के माध्यम से जनपद के ख्याति प्राप्त दैनिक समाचार पत्रों में उक्त शासनादेश द्वारा की गई व्यवस्थाओं को निःशुल्क प्रकाशित किया जाए।
2. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रत्येक गतिविधि हेतु समय–सीमा देते हुए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत के पुनर्गठन की सूचना जनसामान्य की जानकारी हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए।
3. ग्राम पंचायत पुनर्गठन/परिसीमन के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर एक पंजिका रखी जाए, जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रार्थना–पत्रों/प्रस्तावों का विवरण एवं कृत कार्यवाही को अंकित किया जाए।
4. प्राप्त प्रार्थना पत्रों/प्रस्तावों के रख–रखाव हेतु एक पूर्णकालिक कार्यालय सहायक को नामित/तैनात किया जाए।
5. प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रस्तावों पर जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक प्रार्थना पत्र/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त एक स्वतः स्पष्ट आदेश पारित करते हुए उसका निस्तारण किया जाए। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण/निर्णय को अंकित करने हेतु एक पृथक पत्रावली खोली जाएं।
6. ग्राम पंचायत के क्षेत्र में परिवर्तन के सम्बन्ध में अधिसूचना निर्गत करने हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप संख्या–1 पर (प्रथम पृष्ठ का दो तिहाई भाग के बराबर जगह छोड़ते हुए) प्रत्येक पृष्ठ पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित विलम्बतम दिनांक 30.09.2014 तक प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन/परिसीमन के प्रस्ताव निर्धारित रूपपत्र 1, 2 तथा 3 पर 6–6 प्रतियों में सीडी (एम.एस–एक्सेल)/हार्डकॉपी पर निदेशालय को

उपलब्ध करायें जाए। प्रस्तावों के साथ प्रत्येक संशोधन पर कारण एवं औचित्य सहित टिप्पणी भी दी जाए।

7. किसी विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत में किसी ग्राम पंचायत के पुनर्गठन/संशोधन के प्रस्ताव की स्थिति में प्रारूप संख्या–1 पर विकास खण्ड में ग्राम पंचायतों की पूर्व स्थिति व संशोधित/प्रस्तावित स्थिति अंकित कर निदेशालय को गजट में प्रकाशन हेतु प्रस्ताव भेजा जाए।
8. ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में वर्ष 1995 से वर्तमान समय तक समय–समय पर प्रकाशित अधिसूचनाओं को संज्ञान में लेते हुए उनकी छायाप्रतियां भी निदेशालय को भेजी जाए।

अतः उपर्युक्तानुसार सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

22.8.

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्या–4/491 /1/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन को शासनादेश संख्या–1992/33–3 –2014–03रा0नि0आ0/14, दिनांक 16 अगस्त, 2014 के क्रम में।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।